न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहाबाद जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– राजीव दत्तात्रेय, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या :– 197/2019 **(CIS No. 197/2019)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट :– 62/2019 पुलिस थाना शाहाबाद

सीएनआर नंबर :– RJBR090006542019

राजस्थान राज्य ..... अभियोगी

बनाम

प्रेमी उर्फ प्रेमसुख पुत्र पप्पूकोली, उम्र 45 वर्ष, निवासी सहरोल, थाना शाहाबाद, जिला बारां

..... अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति :–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी– राज्य की ओर से।
2. श्री पवन जैन, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक – 05.06.2025

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.06.2019 को फरियादी पिस्ताबाई ने विरुद्ध अभियुक्तगण एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी का इस आशय का पेश किया कि परिवादीया का विवाह आज से लगभग 2–3 वर्ष पूर्व सामूहिक विवह सम्मेलन केलवाडा में सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय परिवादीया के पिता व सम्मेलन समिति ने अलमारी एक कूलर, पंखा, डबल बेड, टी.वी., मिथ्सी, प्रेशर कुकर तथा किचिन में खाना रखने खाने के बर्तन थाली तीस, कटोरी 50, चरी स्टील की चार, पीतल की चरी 2, परात सहित दो बोरी भरे बर्तन दिये थे। पिता द्वारा मंगलसूत्र सोने का, हाथ के चूडा चांदी के, कान के टॉप्स दिये थे तथा ससुराल पक्ष द्वारा कनकती चांदी की परिवादीया को विवाह में उपहार में दिया था। उक्त सम्पूर्ण रकम व सामान परिवादीया का स्त्रीधन है, जो मुलजिमान के कब्जे में है। गत लगभग डेढ वर्ष से अभियुक्तगण परिवादीया को पिता से दहेज लेकर परिवादीया को आये दिन गाली गलोंच कर मारपीट करते हैं। परिवादीया को काली कलूटी कहकर अपमानित करते हैं। शराब पीकर मारपीट करते हैं। गाली गलोंच मारपीट मुलजिमानों द्वारा आये दिन की बात रही है। उक्त सभी मुलजिमान उक्त वर्णित मारपीट गाली गालों व नगदी तथा मोटरसाईकिल की मांग करते है। परिवादीया को गर्भवती अवस्था में मारपीटकर एक जोडी पहने हुये के कपडों में गत दिसंबर में भगा दिया तथा तब से परिवादीया पीहर में रह रही है। डिलेवरी पीहर वालों ने करवायी। अब दिनांक 11.04.2019 को मुलजिमान गुडडी, पप्पू, प्रेमी व महेनद्र उसके पीहर में आये और उसकी नाबालिग 3 माह की संतान को उससे जबरन छीनकर ले जाने लगे। उसने जबरन छीनकर ले जाने का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, बाल पकडकर खींचा, जिससे बाल उखड गये। उसके पिता व भाईयों ने बचाया, उसका स्त्रीधन भी मुलजिमान के पास है, नहीं लौटा रहे.....इत्यादि।

02. उक्त परिवाद को अनुसंधान के लिये थानाधिकारी पुलिस थाना शाहाबाद को अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के तहत प्रेषित किया गया जिस पर पुलिस थाना शाहाबाद में मुकदमा संख्या 62/2019 अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा0दं0सं0 में दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई और तफ्तीश से अभियुक्त प्रेमी उर्फ प्रेमसुख के खिलाफ जुर्म अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा0दं0सं0 में आरोप प्रमाणित पाते हुये आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

03. आरोप पत्र पेश किये जाने पर अभियुक्त प्रेमी उर्फ प्रेमसुख के खिलाफ न्यायालय द्वारा जुर्म अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा0दं0सं0 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोप बहस सुनी गई तथा पत्रावली के अवलोकन से आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार होने पर अभियुक्त को जुर्म अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर आरोप से इंकार किया व अंवीक्षा चाही जिस पर न्यायालय द्वारा विचारण शुरू किया गया।

04. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.ड. 1 परिवादीया पिस्ताबाई, पी.ड. 2 ओमप्रकाश, पी.ड. 3 कानाराम, पी.ड. 4 कैलाश, पी.ड. 5 कालीचरण, पी.ड. 6 लीलाबाई को पेश कर परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में परिवाद प्रदर्श पी 1, दहेज प्राप्ति सामान प्रदर्श पी 2, पुलिस बयान कानाराम प्रदर्श पी 3, पुलिस बयान कैलाश प्रदर्श पी 4, पुलिस बयान कालीचरण प्रदर्श पी 5 को पेश कर प्रदर्शित कराया।

05. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किये गये जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फसाया जाना बताते हुये कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर समाप्त किया गया।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त को सख्त दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अभियुक्त को झूठा फसाया गया है, वह निर्दोष है। अभियुक्त प्रेम स्त्रीधन लौटाने को तैयार व तत्पर है। अभियुक्त ने परिवादीया से किसी प्रकार की कोई मारपीट व दहेज संबंध में कोई मांग नहीं की। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है, मात्र परिवादीया के हितबद्ध साक्षी ही मारपीट करना कथित करते हैं, इसके अलावा अन्य तीन गवाह कैलाश, कालीचरण, व कानाराम पक्षद्रोही रहे हैं। अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है, जिससे अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

07. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू है कि –

''क्या अभियुक्त ने परिवादीया पिस्ताबाई से इस्तगासा पेश करने की दिनांक 11.04.2019 से 3 वर्ष पूर्व विवाह के पश्चात से मौजा खाण्डा सहरोल में उसका पति होते हुये परिवादीया से दहेज में डेढ लाख रूपये नकद अथवा एक मोटरसाईकिल व सत्तर हजार रूपये नकद लाने की मांग करते हुये उसके साथ मारपीट कर शारीरिक मानसिक यातनायें देकर प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित कर

परिवादीया द्वारा उसका स्त्रीधन को मांगने पर नहीं लौटा कर अपने पास न्यस्त करके दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया?''

यदि हॉ तो इसके लिये वाजिब सजा क्या होगी ?

08. उपरोक्त अवधारणीय बिंदू के संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, तो परिवादीया पिस्ताबाई के द्वारा प्रदर्श पी 1 एक परिवाद इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि उसकी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में प्रेमी उर्फ प्रेमसुख पुत्र पप्पू निवासी खाण्डा के साथ हुयी थी। शादी के बाद परिवादीया से अभियुक्तगण दहेज की मांग करते थे एवं दहेज में डेढ रूपये नगद व एक मोटरसाईकिल व सत्तर हजार रूपये अदागयगी की मांग की पूर्ति को लेकर आय दिन गाली गलोंच करते व परिवादीया को काली–कलूटी कहकर अपमानित करते है एवं परिवादीया ने अपने स्त्रीधन के संबंध में तथ्यों का कथन परिवाद में किया है। परिवाद के अलावा पत्रावली पर प्रदर्श पी 2 एक प्रार्थना पत्र इस आशय का भी है कि परिवादीया पिस्ता के द्वारा अपना स्त्रीधन प्राप्त कर लिया है। परिवादीया पिस्ताबाई न्यायालय के समक्ष पीडब्लयु 1 के रूप में अपने परिवाद के समर्थन में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुयी, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में यह जाहिर किया कि उसकी शादी 8–9 साल पहले हुयी थी। शादी में उसके पिता द्वारा सामान दिया था। शादी के बाद उसके एक लडका हुआ जब उसके बच्चा पेट में था, तब से ही उसने मुझे नहीं रखा, मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पापा के पास जा डिलेवरी वहीं करवायेंगे। मेरे पिता ने मेरी डिलेवरी करवायी, तब अस्पताल से मेरा पति व सास मुझे लेकर गये। उसके बाद मेरे पति ने लडाई की और बच्चे को छोड जा और तू भाग जा। इस पर मैंने कहा मैं तो तुम्हारी हूं कैसे चली जाउं। फिर मेरे साथ झूमा–झामी की कोशिश की। मुझे मेरे देवर के द्वारा मारपीट की और कहता था कि तू काली है, तेरे पापा से डेढ लाख रूपये व मोटरसाईकिल ला जब रखूंगा। इस प्रकार परिवादीया ने जिन तथ्यों का उल्लेख प्रदर्श पी 1 अपने परिवाद में किया, उन्हीं तथ्यों के संबंध में परिवाद के सम्पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत की है एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों की सम्पुष्टि की है। इस गवाह की जिरह का अवलोकन करते हैं तो इस गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि वर्तमान में वह अपने पिता के यहां 3 साल से रह रही है। मैंने यह कार्यवाही खाण्डा सहरोल में आने के 20 दिन बाद की थी। मेरा पति छोटी–छोटी घरेलू बातों को लेकर, मेरा मेरे पति के साथ झगडा हो जाया करता था। परिवाद में स्त्रीधन की मांग किये जाने बाबत कोई तथ्य वर्णित नहीं है। यह सही है कि मेरे पति ने मेरा सामान देने से कभी मना नहीं किया। सामान अभियुक्त थाने पर लेकर आया था, लेकिन इस गवाह ने जिरह के दौरान भी विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव को गलत होना बताया कि उसके पति ने उससे पैसे व मोटरसाईकिल की मांग नहीं की हो। यह सही है कि परिवाद प्रदर्श पी 1 में मैंने माह दिसंबर 2018 में अपने पिता के घर आने के बाद 5 महीने बाद परिवाद पेश किया है, जबकि इससे पूर्व अपने बयानों में मैंने 20 दिन बाद परिवाद पेश किये जाने का तथ्य लिखाया है। यह सही है कि मेरा पति लडके को छीनने नहीं आता तो यह परिवाद पेश नहीं करती, क्योंकि मैं रहना चाहती थी। मैंने इस परिवाद से पूर्व कोई भी कार्यवाही पति के विरुद्ध पेश नहीं की। इस गवाह ने जिरह के दौरान जो तथ्य वर्णित किये हैं उनका विवेचन किया जावे तो सर्वप्रथम यह तथ्य उभरकर आता है कि परिवादीया के द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रदर्श पी 1 दिसंबर 2018 में अपने पिता के घर आने के बाद पांच महीने पश्चात प्रस्तुत किया है, जबकि पूर्व में बीस दिन बाद कार्यवाही किये जाने का तथ्य जिरह के दौरान बताया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि जहां यदि इस प्रकार का

कोई कथन विरोधाभासी हो तो यह तात्विक रूप से विरोधाभासी नहीं माना जा सकता क्योंकि मानवीय स्वभाव होता है कि एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को सार्थक बनाये रखने हेतु सभी प्रयास करता है एवं पुलिस कार्यवाही या कोई भी परिवाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व सभी तथ्यों पर विचार करता है। ऐसी दशा में यदि महिला जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है। यदि उसके द्वारा ऐसा कथन वर्णित किया जाता है, तो इससे परिवादीया के साथ परिवाद में वर्णित घटना नहीं हुयी हो ऐसा कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है।

09. इसके अलावा जिरह के दौरान परिवादीया ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके पति ने उससे पैसे व मोटरसाईकिल की मांग की थी और इसी बात को लेकर उसका पति उसके साथ मारपीट करता था। जहां तक लडके को छीने जाने का प्रश्न है, परिवादीया ने आगे यह भी कहा कि वह पति के साथ रहना चाहती है। इस प्रकार परिवादीया ने अपने परिवाद प्रदर्श पी 1 के समथन में जिस प्रकार की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, उसमें अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से तथ्य स्थापित करता है कि परिवादीया के साथ प्रेमी उर्फ प्रेमसुख दहेज की मांग को लेकर एवं मोटरसाईकिल दहेज की मांग स्वरूप 70 हजार की मांग कर उसके साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित करता था। परिवादीया के द्वारा जो साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत की है उसी परिप्रेक्ष्य में पीडब्ल्यु 2 ओमप्रकाश की साक्ष्य का विवेचन करते हैं तो ओमप्रकाश ने मुख्य परीक्षा में परिवादीया के द्वारा प्रस्तुत परिवाद के समर्थन में कथन किया कि उसकी लडकी पिस्ताबाई की शादी प्रेमसुख के साथ केलवाडा सम्मेलन में हुयी थी। शादी के समय स्त्रीधन स्वरूप सामान दिया था। पिस्ताबाई के बच्चा हो गया जो हमारे घर पर हुया था। फिर पिस्ताबाई के साथ मारपीट की। मारपीट में प्रेमसुख ने बोतल की बच्ची के सिर में मारी। यह कहता था कि बच्ची काली है, मैं नहीं रखता और वह रखना नहीं चाहता था। इस प्रकार इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में पिस्ता के साथ अभियुक्त प्रेमसुख द्वारा मारपीट किये जाने का तथ्य स्पष्ट रूप से बताया है। जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि बच्चे को लेने प्रेम और उसका भाई महेन्द्र आये थे। बच्ची का सर कांच की बोतल से फोडा था। वह रिपोर्ट हमने थाने में करवायी थी जो पत्रावली में नहीं है। जब उक्त व्यक्तियों ने पिस्ता के साथ मारपीट की तब ही मैंने पिस्ता से यह कार्यवही करवायी थी। यह बात सही है कि उक्त व्यक्ति अगर पिस्ता के साथ मारपीट नहीं करते तो हम यह कार्यवाही नहीं करते। यह बात सही है कि मारपीट करने के कारण मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा अन्य कोई कारण नहीं था। परिवादीया के द्वारा जिस प्रकार की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अपने परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत की है, उसी परिप्रेक्ष्य में पीडब्ल्यु 2 ओमप्रकाश जो परिवादीया का पिता है ने भी अपने न्यायालय के समक्ष हुये बयानों में प्रेमी के द्वारा मारपीट किये जाने एवं उसे काली होने के कारण नहीं रखने के तथ्य प्रकट किये हैं और जिरह में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुये इस गवाह ने बताया है कि प्रेमी उर्फ प्रेमसुख जब उनके घर बच्चे को लेने आया तो पिस्ता बाई के साथ उसने मारपीट की। इस कारण यह रिपोर्ट हमने प्रेमी उर्फ प्रेमसुख के विरुद्ध करायी।

10. इस गवाह ने जिरह में इस बात को सही होना बताया है कि यह मुकदमा प्रेमी उर्फ प्रेमसुख के द्वारा पिस्ता के साथ मारपीट कराने के कारण कराया था और अगर पिस्ता बाई के साथ प्रेमी उर्फ प्रेमसुख मारपीट नहीं करता तो हम यह कार्यवही नहीं करते। इस प्रकार प्रदर्श पी 2 ओमप्रकाश ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन की कहानी के संबंध में घटना की पूर्ण रूप से मुख्य परीक्षा एवं जिरह के

दौरान ताईद की है और ऐसे कोई विरोधाभासी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं जिससे इस संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता हो कि परिवादीया पिस्ताबाई के साथ प्रेमी ने कोई मारपीट नहीं की हो।

11. इसी परिप्रेक्ष्य में पीडब्ल्यु 6 लीलाबाई की साक्ष्य का विवेचन करते हैं तो यह पिस्ताबाई की मां है, जिसने अपने बयानों में बताया है कि उसकी बेटी पिस्ताबाई की शादी प्रेमी उर्फ प्रेमसुख पुत्र पप्पू के साथ हुयी थी। शादी के बाद पिस्ता बाई के साथ उसके ससुराल वाले मारपीट करते थे। किस बात को लेकर मारपीट करते थे यह जानकारी नहीं है, लेकिन पिस्ता 6 साल से हमारे घर रह रही है। पिस्ताबाई के साथ उसका भाई प्रेमी व अन्य मारपीट करते थे। मेरे घर पर आकर प्रेमी ने मेरे साथ भी मारपीट की थी। पिस्ता बाई की चोटी के बाल कटवा दिये थे। यद्यपि जिरह के दौरान इस गवाह ने एक विरोधाभासी तथ्य जाहिर किया कि पिस्ताबाई प्रेमी के साथ रहना नहीं चाहती है, लेकिन प्रेमी उसे रखना चाहता है, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार प्रेमी का अपनी पत्नी पिस्ता बाई के साथ रहा है जो पत्रावली पर आयी साक्ष्य से दर्शित हो रहा है उससे यह स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति साथ रहने के लिये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे कि उसके साथ रहना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो और वह साथ रहने वाले के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करे तो ऐसी स्थिति में उसके साथ रहना संभव नहीं है। पत्रावली पर जो साक्ष्य आयी है उससे यह तथ्य स्थापित है कि परिवादीया अपने माता–पिता के साथ रह रही है एवं परिवादीया ने जो परिवाद में तथ्य वर्णित किये हैं उनकी सभी गवाहान मुख्य रूप से पीडब्ल्यु 2 ओमप्रकाश व पी 6 लीला बाई ने सम्पुष्टि की है। जहां तक पीडब्ल्यु 3 पीडब्ल्यु कानाराम, पीडब्ल्यु 4 कैलाश व पीडब्ल्यु 5 कालीचरण का प्रश्न है, ये तीनों गवाहान न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये हैं, जो पक्षद्रोही घोषित हुये हैं जिन्होंने घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है एवं प्रेमी के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज कराया उसकी जानकारी होने के तथ्य को भी नकारा है।

12. यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो जाता है कि जब किसी परिवादीया या पीडिता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो वह घर की चार दीवारी में होता है। ऐसा ही कृत्य घरेलू होने से महिला के साथ किस प्रकार का व्यवहार व उसके साथ किस प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्रूरता की जा रही है वह आस पडोस या मोहल्ले में रहने वाले व्यक्तियों को जानकारी हो संभव नहीं है। ऐसी दशा में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह पीडब्ल्यु 3 पीडब्ल्यु कानाराम, पीडब्ल्यु 4 कैलाश व पीडब्ल्यु 5 कालीचरण के पक्षद्रोही हो जाने से प्रकरण की विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

13. धारा 498क आईपीसी के विधिक प्रावधानों का अवलोकन करते हैं तो किसी स्त्री का पति का नातेदार होते हुये, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, जो स्पष्टीकरण **''क''** और **''ख''** में परिभाषित किया है। ''जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है या किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के प्रति प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। तब ऐसा कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आता है।''

14. पत्रावली पर अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे अभियोजन पक्ष पूर्ण रूप से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि परिवादीया पिस्ता के साथ प्रेमी उर्फ प्रेमसुख ने दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की और उसके साथ मारपीट की। ऐसी दशा में धारा 498 ए आईपीसी के संबंध में पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध संदह से परे साक्ष्य आयी है। अतः अभियुक्त प्रेमी उर्फ प्रेमसुख को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

15. जहां तक धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का संबंध है। इस संबंध में स्वयं परिवादीया ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने पति से कभी भी अपना स्त्रीधन नहीं मांगा है और यह भी स्वीकार किया है कि उसे स्त्रीधन देने से कभी इंकार नहीं किया। इस संबंध में पत्रावली पर परिवादीया पिस्ता के द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 2 संलग्न है, जिसमें परिवादीया ने अपने विवाह के समय दिये सामान को प्राप्त किये जाने का स्पष्ट कथन किया है। ऐसी दशा में जब परिवादीया स्वयं यह कह रही है कि उसका पति दहेज स्वरूप जो स्त्रीधन उसे दिया वह परिवादीया को देने के लिये तत्पर है और उसे परिवादीया के द्वारा मांग किये जाने पर देने से इंकार किया हो इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से नकारा है। ऐसी दशा में धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का किसी भी प्रकार से कोई अपराध अभियुक्त प्रेमी उर्फ प्रेमसुख के विरुद्ध बनना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त प्रेमी उर्फ प्रेमसुख को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

—:: <u>आदेश</u> ::—

16. अतः अभियुक्तप्रेमी उर्फ प्रेमसुख पुत्र पप्पूकोली, उम्र 45 वर्ष, निवासी सहरोल, थाना शाहाबाद, जिला बारां को आरोपित अपराध अतंर्गत धारा 406 भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है व धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(राजीव दत्तात्रेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहाबाद, जिला बारां

17. **सज़ा के प्रश्न पर सुना गया।** अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति हैं, उसका यह प्रथम अपराध हैं। अभियुक्त 2019 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त बाल बच्चेदार व्यक्ति है जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके आश्रितों पर संकट उत्पन्न हो जावेगा। नरमी का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया और अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त ने परिवादीया के साथ दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की है, जिससे उसे परवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर सजा से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

18. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी के साथ दहेज की मांग को लेकर उसके साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित करने का आरोप साबित हुआ है। ऐसे अपराध में परीवीक्षा का लाभ दिया जाता है, तो समाज में गलत सदेंश जायेगा। अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ नही दिया जाकर निम्न प्रकार से दण्डादेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्ड़ादेश ::

19. अतः अभियुक्त प्रेमी उर्फ प्रेमसुख पुत्र पप्पूकोली, उम्र 45 वर्ष, निवासी सहरोल, थाना शाहाबाद, जिला बारां को धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास से व 1000/– रूपये के जुर्माने से दण्ड़ित किया जाता है व अदम अदायगी जुर्माना एक माह का कारावास पृथक से भुगताया जावे।

1. अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा अथवा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि मूल सजा में से नियमानुसार समायोजित की जावे। नियमानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

2. अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व दिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(राजीव दत्तात्रेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहाबाद, जिला बारां

20. निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव दत्तात्रेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहाबाद, जिला बारां